Shri Raj Bahadur: I beg to move:

"That the Bill be passed."

Mr. Speaker: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

12.07 hrs.

DETENTION OF MEMBER

(Shri Badrudduja)

Mr. Speaker: I have just received the following intimation from the Superintendent, Alipore Special Jail, Calcutta:

> "I beg to state that Syed Badrudduja, M.P., was admitted to this Jail on 10th September, 1965 under 30 of the Defence of India Rules, 1962, and being treated as a Division I Under-trial prisoner."

12.07½ hrs.

DELHI LAND REFORMS (AMENDMENT) BILL

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): I beg to move*:

> "That the Bill further to amend the Delhi Land Reforms Act, 1954, be taken into consideration."

The Delhi Land Reforms Act, 1954, came into force in the Union Territory of Delhi on 20th July, 1964. Under sec. 150 of that Act, Gaon Sabhas were constituted in the areas to which the Act applied and all common lands in the Gaon Sabhas areas, i.e. all lands whether cultivable or otherwise except those comprised in any holding or grove of private individuals, were vested in the Gaon Sabha under sec. 154 of that Act. The Gaon Sabhas were charged with the function and responsibility of seeing that the lands were not encroached upon. If these lands were encroached upon, they were to file suits against the trespassers, the land would then become vacant and again vest in the Gaon Sabhas. However, if no such suit is filed, under sec. 85 of the Act, the person who has encroached upon the Gaon Sabha land becomes a *bhumidar* or *asami* of the land as if he had been admitted to the possession of the land by the Gaon Sabha. Also when any dispute arises as regards ownership of any property vesting in the Gaon Sabha, under sec. 36 of the Delhi Panchayat Raj Act, 1954, the Gaon Panchayat is empowered to decide whether to treat the property under dispute as the property of the Gaon Sabha or not. Apart from this, it is also the duty of the Gaon Sabha to be on the lookout for cases of contravention of the law by *bhumidars* and their assmis and take remedial action. For example, under sections 42 and 46 of the principal Act, the Gaon Sabha can sue for ejectment of persons who have acquired land by transfer in contravention of the law. When the transferor is ejected, the land becomes vacant. Similarly, under section 81 of the principal Act, the Gaon Sabha can sue for ejectment of their *asamis* and take remedial action. agricultural lands to non-agricultural use.

In the course of the implementation of this Act, certain deficiencies in the law have come to notice. A number of Gaon Sabhas have failed to effectively discharge their functions. A large number of encroachments on Gaon Sabha lands and transfers in contravention of the law have come to notice, and it has caused loss of revenue to the Gaon Sabha and the Government. It has, therefore, become necessary to invest the revenue authorities also with the necessary powers to supplement the efforts of the Gaon Sabhas in removing encroachments on Gaon Sabha lands and ejecting persons who violate the law. In a number of cases the Gaon Sabhas have suffered losses on account of certain unscrupulous Pradhans colluding with unauthorised occupants of Gaon Sabha lands in admitting the claims of the unauthorised occupants in courts of law in suits brought under section 36 of the Delhi Panchayat Raj Act, 1954. It is, therefore, necessary to devise adequate measures to retrieve such properties and to prevent such losses in future.

---

*Moved with the recommendation of the President.

After the commencement of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, a number of villages which were under the jurisdiction of Gaon Sabhas have been urbanised and the Delhi Panchayat Raj Act, 1954, has ceased to apply in those areas. However, the Gaon Sabhas being corporate bodies continue to exist in these areas, even though they have no panchayat functions. There is no provision in the existing law to wind up these bodies in the urbanised areas, but as an interim measure the management of their properties in those areas has been entrusted to the Deputy Commissioner. It is necessary to make provision for winding up the Gaon Sabhas in urbanised areas and for the disposal of their assets and liabilities. The present Bill, with 27 clauses, seeks to give effect to the objects mentioned above, and also make provision for certain other matters.

While amending the Act, we have also taken into consideration of the difficulties of the personnel serving in the armed forces of the Union. We have tried in this Bill to remove those difficulties and give certain concessions to the personnel of the armed forces. Clauses 4, 14 and 16 deal with these things.

At present, under section 36 of the principal Act, a *bhumidar* who is serving in the Armed Forces can lease his land to the *Asami* who has been assisting the whole family or relatives in agricultural operations. Consequently, such parents or relatives are put in difficulties, as sometimes it happens that the parents are old, and the person helping them joins the defence forces. The old parents depending on this young man cannot lease the land under the present Act. We have, therefore, exempted such people, old people whose young sons have joined the army, to lease the land to the *Asamis.*

Clause 14 seeks to amend section 75 of the principal Act so as to give a higher priority in the matter of allotment of land by Gaon Sabhas to persons in the Armed Forces of the Union and the dependents of such persons killed in action and for special preference being given in the case of persons decorated for gallantry. This is a concession which we thought we should give while amending the Act.

Clause 16 seeks to provide that when a person is released from the Armed Forces, he can take back the land leased by him after making and application to the Deputy Commissioner instead of filing a suit as at present, which takes a long time. In order to facilitate their taking back the land, we have provided that if he is discharged, he can simply make an application to the Deputy Commissioner with a certificate that he was serving in the Armed Forces. Then the Deputy Commissioner will make arrangements to give him the land back. Provision is made that in case crops are standing, then after one month from the harvest he will be entitled to get back the land.

Then there are other clauses which deal with unauthorised diversion of land for non-agricultural purposes. Clause 18 seeks to amend section 81 to confer powers also on the Revenue Assistant to eject a person who has diverted agricutural land for non-agricultural use, if the Gaon Sabha fails to move in the matter.

Today we are in great need of higher food production. So, Clause

[Shri Hathi]

11 provides that if after two years land is not cultivated, it can be leased to the Asami for cultivation, because we cannot allow lands to remain uncultivated.

These are the main provisions of the Bill. Clause 26 seeks to amend the Schedule to the Act. Clause 27 is a validating provision. The other eight clauses are of a consequential nature.

This Bill was proposed because there were a number of complainis about encroachment of land, and we received complaints from Members of Parliament also. This was placed before the Delhi Advisory Committee of the Home Minister, and the Committee approved it at its meeting on 20th February, 1965.

I move.

Mr. Speaker: Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Delhi Land Reforms Act, 1954, be taken into consideration."

श्री यशपाल सिह (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, जो बिल हमारे सामने लाया गया है वह बहुत अधूरा सा है । इसमें किसान की दिक्कतों को कोई खयाल नहीं किया गया है । एक बात के लिय मैं मंत्री महोदय को मुबारकबाद देता हूं कि उन्हांने लड़ने वाले जवानों को सहूलियत दी है, वरना आज तक जो लड़ने वाले फौजी थे उनके डिपेंडेंट्स मारे मारे फिरते थे , उनके लिये कोई जरिया माश नहीं होता था । इसके लिये तो मैं उनको बधाई देता हूं लेकिन इस बिल से जो किसान के लिये दिक्कत बड़ी है उसका सरकार ने खयाल नहीं किया ।

सबसे बड़ी देखने की बात तो यह है कि हमारी इतनी बड़ी स्टेट है, इसमें कोई काम किसी एक अफसर की मर्जी से नहीं होता । इतनी बड़ी हाई कोर्ट है, इतनी बड़ी जूडीशियरी है । लेकिन इतना होते हुए भी मेरी समझ में एक चीज नहीं आयी जो कि सुफहा 9 पर दी गयी है । मैं उसे पढ़ कर सुनाता हूं । वह इस प्रकार है :

> "Notwithstanding anything contained in sections 84, 85 and 86, the Revenue Assistant also may, on receiving information or on his own motion, eject any person who is liable to be ejected from any land on a suit of the Gaon Sabha under any of those sections, after following such procedure as may be prescribed."

मेरी यह समझ में नहीं आता कि हमारा इतना बड़ा संविधान होते हुए भी क्यों एक कमिश्नर को या किसी छोटे से जुडिशियल अफसर को या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह जब जी चाहे किसी को बेदखल कर दे । इस क्लाज को हटाया जाना चाहिये । जो हमारा विधान चल रहा है, जो हमारा ला आफ दी लैंड है, उसके मुताबिक किसान को यह हक दिया जाए कि वह अपनी जमीन को प्रोटेक्ट कर सके । आज तक जितने कानून बने हुए हैं वे सब किसान का गला काटने के लिये बने हुए हैं । जब तक किसान को यह सहूलियत नहीं होगी कि वह अपनी जमीन के ऊपर खुद काबिज हो और उसके लिये वह आखिर तक लड़ सके, तब तक वह कैसे देश की रक्षा कर सकेगा और कैसे देश के लिये अनाज पैदा कर सकेगा ।

यह समाजवाद किसान के लिये बहुत महंगा पड़ा है । इस समाजवाद के नाम पर बीस बीघे के किसान को भी जालिम जमींदार कह कर समाप्त किया जा रहा है । समाजवाद के नाम पर आज बिड़ला, टाटा और डालमिया चार-चार लाख रुपया रोजाना बैंकों में जमा कर सकते हैं । इनकम टैक्स जब लगाया जाता है तो खयाल रखा जाता है कि शहर वालों को तीन हजार छोड़ कर टैक्स लगाया जाये जिससे कि वह

अपने बाल बच्चों की परवरिश कर सके। लेकिन जो किसान पांच रुपये का भी अबवाब और मालगुजारी देता है उसके लिय एक पैसे का एक्जम्प्शन नहीं किया जाता। किसान को बराबर में लाने के लिये कोशिश होनी चाहिये। एक तरफ एक दीवार बनी और दूसरी तरफ़ गड्ढा है। वह गड्ढा तभी भरा जा सकता है जब दीवार का कुछ हिस्सा उसमें डाला जाए। जो ऊंचा है उसको कुछ नीचा किया जाय और जो नीचा है उसको ऊंचा किया जाए और उनको एक तल पर लाया जाय। आज किसान को समाजवाद बहुत महंगा पड़ रहा है। इसलिये जो आपने सोल्जर्स के लिये किया है उसके लिय तो म आपको बधाई देता हूं क्योंकि लड़ने वालों के लिये और कोई जरिया माश नहीं रह गया था। जो आपने किया वह बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बिल काम्प्रिहेंसिव नहीं है। इसमें किसान की दिक्कतों का खयाल नहीं रखा गया है।

12.18 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

दिल्ली में किसान से जो जमीन चार रुपये गज के हिसाब से ली गई थी, वह 250 रुपये गज पर बेची गई, लेकिन किसान को उस में से एक पैसा भी मुनाफा नहीं दिया गया। अगर मिल-मालिक की प्रोडक्शन की कीमत आज से नौ, दस साल बाद भी बढ़ती है, तो मिल-मालिक को उस का हिस्सा दिया जाता है, वह बाकायदा शेयर-होल्डर होता है। किसान से जो जमीन चार रुपये गज पर ली गई, वह 250 रुपये गज पर बेची गई, लेकिन उस को शेयर-होल्डर बनाना तो दरकिनार, इतना भी नहीं हुआ कि उस में से दो रुपये उस को दे दिये जाते।

पहले दिल्ली के कानून के मुताबिक यह ममनूअ था, बिल्कुल इल्लीगल था कि लोग यहां पर जमीन के दस, बीस प्लाट खरीद सकें। लेकिन उस के बाद यहां पर कानून पास किया गया कि लोग कम्पनी या को-आपरेटिव बना कर चाहे सौ प्लाट्स ले सकते हैं। इस का नतीजा यह हुआ कि जिन लोगों ने किसानों का हनन किया था, उन्होंने पचास-पचास प्लाट ले कर उन पर मुनाफा कमाया।

जिन किसानों के बेटे फौज में जाते हैं पहले उन को जमीन पर टेनांसी राइट हासिल नहीं होता था, हक मौरूसी हासिल नहीं होता था। इस बिल के जरिये उन को जो राहत दी गई है, वह बिल्कुल सही बात है। लेकिन आम किसानों को कोई राहत नहीं दी गई है।

जो काम गांव सभा के करने का है, उस का हक उसी को होना चाहिये, क्योंकि गांव सभा ही गांवों की जमीन का इन्तजाम कर सकती है। मैं समझता हूं कि कमिश्नर, जुडिशियल आफिसर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या दिल्ली के किसी एथारिटी को यह हक हासिल नहीं होना चाहिये। महात्मा गांधी ने कहा था, "दैट गवर्नमेंट इज दि बेस्ट, विच गवर्न्ज दि लीस्ट"। लेकिन मै देखता हू कि गांवों में शीशम के मामले पर, मेंड़ के मामले पर, तालाब के मामले पर सरकार दखल देती है, बाकायदा इन्टरफीयर करती है। एक तरफ डीसेंट्रलाइजेशन का नारा लगाया जाता है और दूसरी तरफ ज्यादा से ज्यादा सेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि ताकत का विकेन्द्रीकरण किया जाये। सरकार को चाहिये कि वह ताकत को दिल्ली से ले कर देहात में जा कर छोड़ दे, वर्ना दिल्ली मोटी होती जायेगी और देहात पतले होते जायेंगे, कोई देहात में रहना मुनासिब नहीं समझेगा। आज हम देखते हैं कि सब थाने, बड़े-बड़े दफ्तर, कार्यालय और संस्थान शहरों में ही बनते हैं और हमारे गांव उजड़ते जा रहे हैं।

[श्री यशपाल सिंह]

मैं समझता हूं कि यह लैंड रिफार्म्ज़ एक्ट तब कामयाब होगा, जब सरकार यह कानून बना देगी कि देहात का रहने वाला शहर में मकान न बना सके, शहर में नये मकान न बन सकें, शहर में बिल्डिंग्ज की बहुतायत न हो सके। इस की वजह यह है कि जो आदमी खुशहाल होगा, जो वैल-टु-डू पर्सन होगा, वह शहर में रहना पसन्द करेगा और हमारे देहात डाकुओं के क्रीड़ास्थल बनने के लिये छोड़ दिये जायेंगे।

मिनिस्टर साहब इस बात की गारण्टी दें कि सरकार देहात में रहने वाले किसान की बहबूदी और उस की जमीन की तरक्की के लिये ट्यूबवैल्ज और नहरों का इन्तजाम करेगी। हम जानना चाहते हैं कि आज तक वहां पर कितने ट्यूबवैल्ज या नहरों का इन्तजाम किया गया है। सरकार इस बात की भी गारण्टी दे कि दिल्ली शहर में नये मकान न बनने पायें, क्योंकि दिल्ली शहर में अब पचास लाख की आबादी होने जा रही है। यहां पर पचास लाख आदमी घुट गये हैं और उन को दूध और घी तो क्या, पानी भी नहीं मिलता है। शाम के वक्त एक गलास पानी के लिये पचास पचास आदमी खड़े रहते हैं। जिस सरकार ने न्यूटरीशस फूड मुहैया करने का वादा किया था, वह एक ग्लास पानी भी नहीं दे सकती है। सरकार इस बात की भी गारण्टी दे कि देहात की तरक्की के लिये सब कार्यालय और हैडक्वार्टर्ज़ आदि गांवों में ही बनेंगे, पुलिस और जुडिशियल आफिसर वगैरह गांवों में ही पहुंचेंगे और किसानों को देहात को छोड़ कर दिल्ली शहर में नहीं आना पड़ेगा।

मिनिस्टर साहब इस बात की गारण्टी भी दें कि किसान जिस जमीन को जोतता है, जिस पर उस का राइट है, सरकार उस को किसी भी हालत में, कोई भी प्राजेक्ट बनाने के लिये या शहरी आबादी बढ़ाने के लिये, किसान की मर्जी के खिलाफ एक्वायर नहीं कर सकेगी। आज स्थिति यह है कि किसान को पूछा भी नहीं जाता है और उस की जमीनें एक्वायर कर ली जाती हैं। सरकार इस बात की गारण्टी दे कि किसान का अपनी जमीन पर राइट रहेगा, जिस से वह अपनी पैदावार बढ़ा सके, जिस से वह अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सके और साथ ही टैंनासी राइट्स को भी मुस्तकिल किया जाये।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में कोरम नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है—अब कोरम हो गया है।

श्री यशपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, विलेजिज के साथ जो स्टेपमदरली ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उस को दूर करने की कोशिश नहीं की गई है। अगर गांवों में कोई सड़क, स्कूल या चिकित्सालय बनता है, तो सरकार कहती है कि आधा रुपया गांव सभा इकट्ठा कर के दे और आधा रुपया सरकार देगी। देहातों की तरफ से जो करोड़ों अरबों रुपये टैक्स की शक्ल में दिये जाते हैं, सरकार उन को कान्ट्रीब्यूशन नहीं समझती है। इस के मुकाबले में जब शहरों में स्कूल कालेज, सड़कें या चिकित्सालय बनते हैं, तो सरकार कभी यह नहीं कहती है कि आधा रुपया शहर की पब्लिक दे और आधा रुपया सरकार देगी। इस के बारे में इस बिल में कोई प्राविजन नहीं रखा गया है।

लैंड रिफार्म्ज़ इस तरह लचरपोच हो गए हैं कि किसान खेती करते हुए हिचकिचाता है कि पता नहीं, कोआपरेटिव के नाम से, कोएग्जिसटेंस के नाम से, सहकारी के नाम से, एक्वीजीशन के नाम से या रेक्वीजीशन के नाम से सरकार किस वक्त उस की जमीन को हड़प कर लेगी।

इस लिये सरकार गारण्टी दे कि किसान की जमीन सुरक्षित रहेगी ।

इसी दिल्ली शहर में एक एक पूंजीपति के पास सत्तर अस्सी कोठियां हैं । वह उन कोठियों को देख नहीं सकता है, उन की सफाई नहीं कर सकता है, लेकिन उन कोठियों पर किसी तरह की कोई सीलिंग नहीं है, कोई तईयुन का कानून नहीं है, लेकिन देहात के लिये तईयून और सीलिंग आ गया है । जब तक दोनों तबकों को एक धरातल पर खड़ा नहीं किया जायेगा, तब तक देश में वास्तविक अर्थों में समाजवाद नहीं आ सकता है ।

हमारे कांस्टीट्यूशन में ईक्वल आपरटूनिटीज की गारण्टी दी गई है, लेकिन ईक्वल आपरटूनिटीज कहां होंगी, जब कि देहात का लड़का अपना बस्ता उठा कर सुबह दस मील तय कर के स्कूल जाता है और शाम को दस मील तय कर के वापस घर आता है । स्कूल में जो कुछ वह पढ़ता है, वह इस बीस मील के सफर से उस को भूल जाता है ।

सरकार इस बिल को दोबारा लाए और उस में इस तरह की गारण्टी दे कि किसान अपनी जमीन का मालिक होगा और उस की जमीन पर किसी का किसी तरह से अधिकार नहीं होगा ।

इस बिल में जो यह प्राविजन रखा गया है कि कमिश्नर या जुडिशल आफिसर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जब जी चाहे, तब इजेक्ट कर सकते हैं, यह हमारे कांस्टीट्यूशन के खिलाफ है । किसान को अपनी जायदाद और जमीन के लिये लड़ने का अधिकार हासिल है—दिस इज माइन और आई विल डाई फार इट । किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह किसान को उस की जमीन से इजेक्ट कर सके ।

विकेन्द्रीकरण का मतलब यही है कि गांव सभा, गांव पंचायत, गांव के न्यायाधिकरण को यह हक दे दिया जाये कि वह गांव के जमीन सम्बन्धी सभी रूट्स को तय करे । किसी एक आदमी को यह हक न दिया जाये ।

मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह इस बिल को दोबारा लायें और किसानों की दिक्कतों को दूर करें ।

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Defence Minister will be making a statement at 3.30 P.M. today.

श्री नवल प्रभाकर (दिल्ली—करोल बाग) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य, श्री यशपाल सिंह, ने इस विधेयक के उद्देश्य को पूरी तरह से नहीं समझा है और इसी लिए शायद उन्होंने इधर उधर की बहुत सी बातें कह दीं । इस बिल का उद्देश्य सीमित है । दिल्ली में जो ग्राम सभायें बनी हुई हैं, उन के नीचे जो जमीन आती है, उस की देख-भाल अभी तक वे करती रही हैं । कुछ ग्राम सभायें ऐसी है जो देखभाल करती है । कुछ लोग अनधिकृत रूप से उस जमीन को जो कि ग्राम सभा की है अपने कब्जे में ले लेते है । एक ही गांव में रहने वाले लोग है, आपस में झगड़ा नहीं कर सकते हैं उससे जमीन खाली नहीं करा सकते हैं, इसलिए यह अधिकार दिया गया है कि जो ग्राम सभा की जमीन है और जिस पर एक आदमी जबरदस्ती कब्जा कर लेता है उसको वहां से हटा दिया जाए और उसको हटाने का जो अधिकार है वह डी॰ सी॰ को दिया गया है ।

कुछ दिनों के प्रयोग से यह साबित हुआ है, जो प्रयत्न किये गये हैं उन से यह साबित हुआ है कि ब्लाक पंचायत समिति की मीटिंग होती है जिस में ग्राम सभा का प्रधान आता है और आ कर कहता है कि अमुक अमुक व्यक्ति ने गांव के अन्दर उस उस जमीन पर

[श्री नवल प्रभाकर]

कब्जा किया है और वह उसको छोड़ता नहीं है और अगर मैं पुलिस में जाता हूं तो पुलिस वाले मेरी मदद नहीं करते हैं और डी० सी० के पास भी जाता हूं तो डी० सी० भी मेरी कोई सहायता नहीं कर सकता है । अनधिकृत रूप से जो बैठे हुए हैं और जिनको निकाला नही जा सकता है, उनको हटाने के लिए इस में प्राविजन किया गया है । एक तो इस में यह बात है ।

दूसरी बात यह है कि कुछ गांव ऐसे हैं जो शहर में आ गए हैं और इस कारण से गांव सभा की जो जमीन है, उसकी कीमत बढ़ गई है । शहर के निकट आने की वजह से उनकी जो भूमि है, उसकी कीमतें बढ़ गई हैं । उस में एक बात है । कुछ तो हमारे जो नीचे के कर्मचारी हैं जैसे विल्लेज लैवेल वर्कर है या ग्राम सभा का सैक्रेटरी है और एक दो जगह तो ब्लाक डिवेलेपमेंट अफसर जो है उनका भी इस में हाथ रहा है और उन्होंने यह किया है कि गांव सभा के प्रधान से अदालत में जा कर यह कहलवा दिया है कि अमुक अमुक जमीन ग्राम पंचायत की नहीं है, यह तो राम की जमीन है या शाम की जमीन है और जब ग्राम सभा के प्रधान ने जा कर इस तरह की गवाही दे दी तो उस गवाही के आधार पर न्यायाधीश ने यह निर्णय दे दिया कि हां, यह ग्राम सभा की जमीन नहीं होगी, यह राम या शाम की जमीन होगी । इस तरह से धीरे धीरे ग्राम सभा की जमीन का ह्रास होता जा रहा है । उसका ह्रास न हो इस उद्देश्य से भी यह विधेयक यहां लाया गया है । इस में न तो किसान का कोई अहित होता है और न ही उसका कोई नुकसान होता है । केवल ग्राम सभा की जो जमीन हैं, जो साझी प्रापर्टी है उस साझी प्रापर्टी की रक्षा करने के लिए यह विधेयक लाया गया है । माननीय यशपाल सिंह जी को यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिये ।

मेरा खयाल है कि उन्होंने शायद दिल्ली में जा कर उसको अच्छी तरह से देखा नहीं है । मैं उन को कम कह कर एक बात बतलाना चाहता हूं । दिल्ली के तीन चौथाई गांवों में बिजली चली गई है और प्रत्येक गांव के अन्दर प्राइमरी स्कूल है । किसी भी बच्चे को डेढ़ मील से अधिक न चल कर हायर सैकेंडरी स्कूल प्राप्त हो जाता है । इसके अतिरिक्त हमारे यहां एक कालेज भी गांव में है और दूसरे कालेज का प्रबन्ध किया जा रहा है । माननीय सदस्य ने यह कहा कि शहरों में इस तरह से है और गांवों में ऐसा नहीं है । आज आप दिल्ली के गांवों में जा कर देखें, आपको पता चलेगा कि प्रत्येक गांव से एप्रोच रोड मिली हुई है, आपको कहीं पैदल नहीं चलना पड़ेगा, आपकी गाड़ी सीधे गांव में चली जाएगी ।

श्री यशपाल सिंह : एडमिशन के बगैर कितने स्टुडेंट्स रह गए हैं ?

श्री नवल प्रभाकर : मैं आपको पूर्णतः विश्वास के साथ कह सकता हूं कि गांवों के अन्दर प्रवेश का कोई झंझट नहीं है, यह शहरों में ही है । गांवों में तो हम यह कोशिश करते हैं, यह प्रयत्न करते हैं कि चूंकि यहां पर कम्पलसरी एजुकेशन है इस वास्ते कोई बच्चा पढ़ने से न रहे । गांव गांव में जा कर यह प्रयत्न किया जाता है कि लोग अपने

बच्चों को स्कूल भेजें । प्रवेश का जो चक्कर है यह शहरों में ही है। गांवों में बिल्कुल नहीं है। वहां कोई इस तरह का झगड़ा नहीं है ;

कुछ कमियां हैं जिन की तरफ मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं । दिल्ली में आज पहले वाले गांव नहीं रहे । 1908 के अन्दर दिल्ली का इस्तेमाल हुआ था और तब गांव की परिधि तय की गई है और लाल डोरे वाली बात तय की गई थी । 1908 के जमाने को आप ले लीजिये और आज 1965 के जमाने को ले लीजिये । उस समय और इस समय के बीच में गांव काफी बढ़ गए हैं । माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो गांव की जमीन किसी और परपज के लिए ले लेगा तो उसको भी वह हटा सकेंगे । मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । हमने चीफ कमिश्नर को भी, दिल्ली की जो सलाहकार समिति है, और जिसके माननीय गृह मंत्री जी प्रधान हैं, उस में भी कई बार इस बात का जिक्र किया है और दिल्ली की जो रूरल डिवेलेपमेंट कमेटी है, उस में भी कई बार इस बात का जिक्र किया है, इस पर कई बार वाद विवाद हुआ है और वह यह है कि जो लाल डोरा 1908 में तय किया गया है आज 1965 में आबादी के बहुत बढ़ जाने की वजह से गांवों की हालत यह हो गई कि जिस परिवार में पहले तीन व्यक्ति रहते थे आज उसी परिवार में पंद्रह और बीस व्यक्ति रहते हैं और उनके पास रहने के जो घर हैं वे दो या तीन होने चाहियें। मैं ने अपनी आंखों से देखा है कि कई जगह एक ही घर में भैंस भी बंधती है और वहीं पर गरीब किसान की चारपाई भी बिछती है । वहां पर गोबर की बदबू रहती है और उस बदबू के अन्दर वह परिवार समेत रहता है । यह अच्छा नहीं लगता है । आपको प्रयत्न करना चाहिये जिस तरह से हम दिल्ली शहर को बराबर बढ़ाते चले जा रहे हैं और उस में सारी सुख सुविधायें बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसी तरह से यह जो लाल डोरे की समस्या है इसको भी आप गम्भीरता पूर्वक लें । जिस तरह से दिल्ली शहर बढ़ रहा है, उसी तरह से गांव भी बढ़ेंगे और वहां भी इस बात का प्रबन्ध होना चाहिये, ऐसा प्राविजन होना चाहिये कि उनको बढ़ने के साधन प्राप्त हो सकें । उस में यह भी हो सकता है कि जो ग्राम सभा की जमीन है उसको आप उन लोगों को दे सकें या दूसरी जो गांव के आस पास की जमीन है, उसको ले कर उनको दे सकें, क्योंकि गांव तो बढ़ने से रुकेंगे नहीं ।

मैं एक और बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । दिल्ली के डेवेलेपमेंट कमिशनर की तरफ से प्रत्येक गांव की पंचायत के पास एक निर्देश गया और कहा गया कि जो ग्राम सभा की जमीन पड़ी हुई है, उसको जिनके पास जमीन नहीं है, जो भूमिहीन लोग हैं, उनको पट्टे पर दे दिया जाए । पट्टे पर देने से एक बात तो यह होती है कि जो भूमिहीन लोग हैं, वे उसके ऊपर काश्त करने लगते हैं और जब काश्त करने लगते हैं तो उसकी जो आमदनी होती है वह ग्राम सभा को चली जाती है । आप देखें कि ग्राम सभाओं के अन्दर पैसे की बहुत कमी रहती है क्योंकि टैक्स वगैरह वे नहीं लगाती हैं । मेरा निवेदन है कि इस तरह की जो फालतू जमीन पड़ी हुई है और कई गांवों में तो बहुत जमीनें पड़ी हुई हैं और जिन का कोई उपयोग भी नहीं हो रहा है, जो उपयोग में नहीं आती हैं, उनको पट्टे पर आप न दें । जब उनका उपयोग नहीं होता है तो अनधिकृत लोग उनके ऊपर कब्जा

[श्री नवल प्रभाकर]

कर लेते हैं । यह ठीक है कि कई बार ये कब्जा करने वाले लोग ग्राम सभा के प्रधान को खुश कर लेते हैं और इस वास्ते उनकी शिकायत नहीं पहुंच पाती है । अगर प्रधान को भी वे खुश न करें और वह शिकायत कर दे तो आगे जा कर वे खुश कर लेते हैं और कुछ नहीं होता है । कई मामलों में देखा गया कि वे न्यायाधीश के सामने गए हैं और जा कर उन्होंने कहा है कि मैं जमीन को छोड़ दूंगा और उनके ऊपर पांच या दस रुपये जुर्माना कर दिया गया है । अगर एक आदमी ने पांच या दस एकड़ जमीन पर कब्जा किया है और वहां पर काश्त शुरू कर दी है तो उसको पांच हजार रुपया तो एक साल के अन्दर आमदनी हो जाती है लेकिन उसके ऊपर पांच या पंद्रह रुपये ही जुर्माना हुआ है । उसने न्यायालय में जा कर कह दिया कि वह आइंदा काश्त नहीं करेगा और उसके ऊपर मामूली सा जुर्माना हो जाता है । वह यह कह कर आ जाता है कि आइंदा काश्त नहीं करूंगा लेकिन फिर वह आ कर अगले दिन से काश्त करने लग जाता है । भूमिहीन लोग हैं, उन में हरिजन भी हैं, दूसरे पिछड़े हुए वर्गों के लोग भी हैं और उनको आप जमीन दे दें तो ये अनधिकृत रूप से कब्जा भी नहीं करेंगे और न कोई दूसरा करेगा और उसके साथ साथ, उस जमीन का सदउपयोग भी हो जाएगा और जो आमदनी है वह ग्राम सभा को चली जाएगी । इस के अतिरिक्त जो बात मुझे कहनी है वह यह है कि शहरी जमीन जब आप ऐक्वायर करते हैं या देहात के किसानों की जमीन ऐक्वायर की जाती है तो उन के मालिकों को उस का पैसा मिल जाता है । उसी तरह से जो गांव सभा की शामलात भूमि है उस का पैसा जो होता है ,अर्थात् उस को एक्वायर करके जो पैसा दूसरों को दिया जाता है, उस को गांव की भलाई के लिये और उस के लाभ के लिये खर्च किया जाना चाहिये ।

यह देखा गया है कि दिल्ली डेवलपमेंट अथारिटी जमीन एक्वायर करती है और एक्वायर करने के बाद भी गांव के बिल्कुल पास से उस को एक्वायर कर लेती है और चारों ओर प्लांट डेवलप हो जाते हैं । चारों तरफ सड़कों की सुविधायें हो जाती हैं और गांव जो होता है वह एक गन्दी बस्ती का रूप धारण कर लेता है । थोड़े दिन बाद प्रयत्न यह किया जाता है कि चूंकि वह गन्दी बस्ती हो जाता है इसलिये उसे उठाकर दूसरी जगह ले जाया जाये । चूंकि वहां कुछ हो नहीं सकता इसलिये गांव वालों को वहां से हटाने की कोशिश की जाती है । बहुत प्रयत्न करने के बाद दिल्ली डेवलपमेंट अथारिटी ने पृथक पृथक गांवों की अलग अलग प्लेन्स बनाना शुरू किया है । मैं कहना चाहता हूं कि ग्राम सभा की जो जमीन हो उस को जब ऐक्वायर किया जाता है तो उस का जो पैसा हो उससे गांव के आस पास जो जो जमीन हो वहां पर कम्यूनिटी हाल है, गांव के लिये डिस्पेन्सरी है, गांव के लिये जो दूसरी सुविधाये हों सके वह दी जायें उन सब के लिये जमीन छाड़ने के बाद अगर कोई जमीन बचती है और उस का पैसा आता है तो उस में गांव वालों के लिये गांव के एक्सटेंशन के लिये खर्च हो और जमीन छोड़ी जाये या उन को प्लाट दिया जाये ।

मैंने जो सुझाव दिये हैं मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी उन पर ध्यान देंगे और ध्यान देने के बाद उचित कार्रवाई करेंगे ।

श्री बड़े (खारगोन) : उपाध्यक्ष महोदय , इस दिल्ली लैंड रिफार्म बिल का मैं विरोध करता हूं । इस का कारण केवल यह है कि उस का उद्देश्य यहां यह दिया हुआ है कि :

> "The common lands in the rural areas were vested in the Gaon Sabhas under section 154 of that Act. The Gaon Sabhas are responsible for managing and controlling such lands and, in particular, to take steps for removal of encroachments over those lands."

वह जो एनक्रोचमेंट निकालने का कार्य था वह कार्य बराबार नहीं चल रहा है इसलिये रेवेन्यू अथारिटीज को अधिकार दिया गया है कि वह एनक्रोचमेंट वहां से हटायें । मेरा कहना यह है कि ग्राम पंचायतों को वास्तव में प्रोत्साहन देना चाहिये । ग्राम पंचायतों को ज्यादा पावर्स देनी चाहियें इस वास्ते ग्राम पंचायत के कार्य को आगे बढ़ाया जाये । इस के लिये पंचायत राज ऐक्ट का सुधार किया जाये । लेकिन ऐसा न करके जहां ग्राम पंचायतों को डेवलप करना चाहिये ग्राम पंचायतों को उत्तेजन देना चाहिये वहां उनको नालायक ठहरा कर, उन को दूर रख कर रेवेन्यू अथारिटीज को यह पावर्स दे रहे हैं ।

मैंने देखा है कि ग्राम पंचायतों का नया एक्सपेरिमेंट अपने यहां हो रहा है तो वह शुरु में गलतियां जरूर करेंगी । जब कोर्टस् स्थापित किये गये तो क्या मजिस्ट्रेट्स ने गलतियां नहीं कीं । मैंने देखा है कि आनरेरी मजिस्ट्रेट्स इतनी गलतियां करते हैं कि लोग उन को अनाड़ी मजिस्ट्रेट्स कहने लगे । आनरेरी मजिस्ट्रेट्स और थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट्स जिस तरह से गलतियां करते हैं उस को देख कर एक किताब किसी ने लिखी जिस में उन का मजाक उड़ाया गया है । उसमें लिखा है कि एक आदमी की भैंस ने रास्ते में जाते जाते एक पैसेन्जर को मार दिया । पैसेन्जर ने जा कर मजिस्ट्रेट साहब से यह शिकायत की कि आरोपी नं० 1 तो भैंस का ओनर है और आरोपी नं० 2 भैंस है जिस ने लात मारी । इस प्रकार आरोपी नं० 1 और आरोपी नं० 2 कोर्ट में उपस्थित हो गये । मजिस्ट्रेट ने जो आरोपी नं० 1 भैंस का ओनर था उस को चार रुपये जुर्माने का दण्ड दिया और आरोपी नं0 2 जो भैंस थी उसको चार डंडें मारने की सजा दी । इस तरह का मजाक उस किताब में उड़ाया गया है । इस लिये मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपके आनरेरी मजिस्ट्रेट्स ने गलतियां नहीं कीं इसी तरह से एक और किस्सा है कि एक पारसी गृहस्थ था उस ने कहीं 'श्योर श्योर' कह दिया । लेकिन जिस मजिस्ट्रेट से कहा गया वह इंग्लिस नहीं जानता था इसलिये उस ने समझा कि वह सुअर सुअर कहता है । उस मजिस्ट्रेट ने कंटेम्प्ट आफ कोर्ट उस पारसी के ऊपर कर दिया । पारसी ने कोर्ट में यह प्ली लिया कि मैंने तो उसको 'श्योर श्योर' कहा था । मेरा मतलब सुअर कहने से नहीं था, लेकिन आनरेरी मजिस्ट्रेट अंग्रेजी नहीं समझता है । मैं पुछना चाहता हूं कि क्या इस तरह की गलतियां नहीं होती हैं । कहा जाता है कि ग्राम पंचायत में करप्शन होता है । तो क्या कोर्टस में करप्शन नहीं होता, क्या कोर्टस् में फेवरिटिज्म नहीं होता है । आप ने यह कह कर कि फेवरिटिज्म होता है ग्राम पंचायत में एनक्रोचमेंट निकालने की जो पावर थी वह उस से लेकर उन्हें अलग कर दिया । कह दिया कि गांव सभा नालायक है और ऐसा कह कर रेवेन्यू अथारिटीज को वह ताकत दे दी । यह बात ठीक नहीं है ।

श्री हाथी : उन के पास पावर है ।

श्री बड़े : उन को पावर है लेकिन उन के साथ रेवेन्यू अथारिटीज को भी पावर दे दी है क्योंकि आप ने इसमें लिखा है :

> "Under sections 42, 46 and 81 of the Act, they are also charged with the responsibility of securing the ejectment of persons who acquire lands by transfers in contravention of Chapter III of the

[श्री बड़े]

Act or who divert agricultural lands for non-agricultural purposes."

इस में स्पष्ट कहा गया है कि :

"A number of Gaon Sabhas have, however, failed to effectively discharge these functions."

इस वास्ते यह अमेंडमेंट लाया गया, यह लिखा है । मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिये था । अगर गांव सभा फेल होती है तो गांव सभा को और ताकत देनी चाहिये थी । जिस ने गलती की है उस को बदल देना चाहिये था । लेकिन उस के हाथ से ताकत निकाल कर रेवेन्यू अथारिटी को ताकत देना ठीक नहीं है । इससे ग्राम सभा और पंचायत राज ऐक्ट की वृद्धि नहीं हो सकती । इसलिये मैं इस बात का विरोध करता हूं ।

इस के बाद मैं कहना चाहता हूं कि मैं ने सुना है कि यहां जो ग्राम सभायें हैं उन में से 200 ग्राम सभाओं को यहां के कमिश्नर ने सुपरसीड कर दिया है । 200 ग्राम सभाओं को इसलिये सुपरसीड किया गया है वहां पर मिस मैनेजमेंट हो गया ।

एक माननीय सदस्य : आज भी बहुत सारी ग्राम सभायें दिल्ली में हैं ।

श्री बड़े : लेकिन इसमें यह लिखा हुआ है "फार अदर रीजन्स" । "फार अदर रीजन्स" ग्राम सभाओं को सुपरसीड करने की जो शासन की नीति है मैं समझता हूं कि वह ठीक नहीं है । इस के साथ कोर्ट के अन्दर केसेज गये । इस के बाद जायेंगे कि ग्राम सभाओं ने जमीन दे दी । रेवेन्यू के खाते में जमीन उन के नाम में दर्ज थी इसलिये सूट डिसमिस होंगे । यह भी बताया कि रेवेन्यू कमिश्नर या डी० सी० का लोकस स्टेन्डाई नहीं था । इस प्रकार के जो सूट्स होंगे या दावे होंगे यह डिसमिस होंगे और डिग्री रद्द समझी जायेगी । इस के बाद फिर रेवेन्यू केसेज किये जायेंगे । इस में प्राविजन है कि :

> (a) any suit or proceeding is pending in any court to which the Deputy Commissioner and the Gaon Sabha are a party, the Union of India shall be deemed to be substituted therefor in that suit or proceeding; and
>
> (b) where any suit or proceeding has been dismissed on the ground that the Deputy Commissioner and the Gaon Sabha had no *locus standi* to file such suit or proceeding, it shall be restored and continued with the Union of India as having been substituted as a party."

यानी जो डिगरी हो गयी है जिस के बारे में केसेज का डिशीसन हो गया है उस वक्त यह ला नहीं था उस के बाद रिट्रास्पेक्टिवली करके यह डिगरी हो गई है । ऐसा निर्णय एक कोर्ट ने दे दिया है । उसे रद्द करके फिर फ्रेश सूट दाखिल होगा । इस प्रकार की अनस्टेबिलिटी जो है यह ठीक नहीं है । जिस प्रकार से आप ने बुद्धिमत्ता के साथ इस प्रकार का ला बनाया उस का फायदा जिस को मिला उस से वह फायदा छीन कर फिर आप कहेंगे कि दूबारा सूट दाखिल होगा । यह जो तरीका है यह भी ठीक नहीं है ।

इस के साथ मेरा यह कहना है कि गांव वालों के पास से अगर आप जमीन लेते हैं तो उस का कारण क्या बतलाते हैं कि गांव की जमीन म्यूनिसिपैलिटी की हद्द में आ गई है, इस लिये ऐसा किया जा रहा है । आप ने यहां पर कहा है कि :

> "After the commencement of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, a number of villages which were under the jurisdiction of Gaon Sabhas have been urbanised and the Delhi Panchayat Raj Act, 1954, has ceased to apply in these areas. However, the Gaon Sabhas being corporate bodies continue to exist in these areas even though they have no panchayat functions."

मैं नहीं समझ पाता कि इसमें कौन सी गलती है । हर एक शहर में ऐसा होता है । वहां केन्टोनमेंट का जूरीडिक्शन रहता है, म्यूनिसिपैलिटी का जूरीडिक्शन रहता है, कारपोरेशन का अधिकार रहता है । यहां पर तो दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी और दिल्ली कारपोरेशन का अधिकार है, हमारे मध्य प्रदेश में एक ओर रेवेन्यू अथारिटीज का अधिकार है दूसरी ओर म्यूनिसिपैलिटी का अधिकार हैं अलग अलग लोगों के क्षेत्र वहां पड़े हुए हैं । लेकिन वह सब ठीक से काम करते हैं लेकिन चूंकि डी० सी०, कमिश्नर या गवर्नमेंट उस से नाराज इस लिये है कि वह उनके कहने के अनुसार नहीं चलते हैं इसलिये गांव के प्रधान का अधिकार निकाल कर म्यूनिसिपल कारपोरेशन ले ले और गांव पंचायत राज न रहे, यह ठीक नहीं है । यह कहना बिल्कुल गलत है और इस प्रकार की जो नीति है इसमे पंचायती राज बढ़ेगा नहीं । यदि आपको पंचायती राज को बढ़ाना है तो आपको पंचायतों को अधिक अधिकार देने चाहिये । ऐसा होगा तो वे डेवलपमेंट का काम भी कर सकेंगी । क्या आप समझते हैं कि केवल ग्राम सभाओं में भ्रष्टाचार है म्यूनिसिपल और कारपोरेशन कर्मचारियों में भ्रष्टाचार नहीं है । आप पंचायतों से जो अधिकार निकाल कर कारपोरेशन को देने जा रहे हैं, वे अधिकार पंचायतों के पास रहने दें तो वे कारपोरेशन से अच्छा डेवलपमेंट का काम कर सकती हैं ।

अभी एक वक्ता ने कहा है कि आप ग्राम सभाओं की जमीन तो ले लेते हैं लेकिन उन जमीनों के जो पैसे आते हैं वे ग्राम सभाओं को नहीं देते । आज स्थिति यह है कि ग्राम सभा कहती है कि हमको अधिकार है कि हम जमीन देंगे, और कारपोरेशन कहता है कि आपको जमीन देने का अधिकार नहीं है । आप के दिमाग़ में यह बात सन् 1957 में क्यों नहीं आयी । आप सन् 1957 से सन् 1965 तक परिस्थिति को खराब करते गए और जब दोनों में लड़ाई उत्पन्न हो गई है डिप्टी कमिश्नर से उनको सुपरसीड कर दिया और कह दिया कि डिप्टी कमिश्नर को लोकस स्टेंडाई है और ग्राम सभा को अधिकार नहीं है । इस बारे में कई केस मेरे पास हैं जिसमें यह निर्णय दिया गया है कि ग्राम सभा को अधिकार है डिप्टी कमिश्नर को जमीन देने का अधिकार नहीं है । इन दोनों ग्राउंड्स पर केस को डिसमिस किया गया । मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कानून बनाना ठीक नहीं है । ग्राम सभा ने गलती नहीं की । गलती तो आपने सन् 1957 से की हुई है । आप के दिमाग में यह बात क्यो नहीं आयी कि जब दोनों को अधिकार दिया जाएगा तो वे आपस में टकरायेंगे । यह चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए थी । इसका अर्थ तो यह हुआ कि आपने मिसमैनेज किया तो आपको सुपरसीड किया जाए । इस प्रकार ग्राम सभाओं के अधिकार को निकाल देने से आप उनको डिसकरेज करेंगे और वे अपना काम ठीक से नहीं कर सकेंगी जो तरीका चल रहा है उस से तो ग्राम पंचायतें आगे नहीं बढ़ सकेंगी ।

श्री काशीराम गुप्त (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि उनका जो सन् 1964 का ऐक्ट है, इसलिए वह 17वें अमेंडमेंट में 9 शिड्यूल के अन्तर्गत सुरक्षित है तो आपको यह देखना चाहिए कि वह जो सुरक्षित ऐक्ट है इस अमेंडेड ऐक्ट के बाद इसको आप उस सुरक्षित ऐक्ट में रखना जरूरी

[श्री काशीराम गुप्त]

समझेंगे या नहीं, क्योंकि यह बहुत जरूरी है । जब आपने उसे सुरक्षित कर रक्खा है तो आपको उसे पहले निकाल देना चाहिए या सुरक्षित करने के लिए उसे वापस भेजना होगा ।

अच्छा होता यदि आप इससे पहले यह जानकारी प्राप्त कर लेते कि इसे दिल्ली के लिए सुरक्षित करने की आवश्यकता है या नहीं । यह सीलींग दिल्ली के लिए ही सुरक्षित की गई थी । मैं उस ज्वाइंट कमेटी का सदस्य था और मैंने कहा था कि दिल्ली में इस प्रकार का सुरक्षित करना आवश्यक नहीं है, सीलींग ऐक्ट में, लेकिन मेरी बात नहीं मानी गयी । वह जाब्ते की बात थी इसलिये उसको जाब्ते में शामिल कर लिया गया । अब दस साल बाद आप नया संशोधन लाए हैं । मैं समझता हूं कि यह भी नाकाफी होगा और शायद पांच साल बाद फिर आपको संशोधन लाना पड़ेगा ।

माननीय मंत्री महोदय इसकी जड़ में जाने की कोशिश नहीं करते । दिल्ली का क्षेत्र बहुत छोटा सा है । और दिल्ली शहर ग्राह की तरह बढ़ रहा है । दिल्ली शहर जो सुरसा के बदन की तरह बढ़ रहा है, उसके लिए जो आपने आबादी की योजना बनायी है वह त्रुटिपूर्ण है और उसका सारा असर इस ऐक्ट पर पड़ता है । इसलिये क्या मंत्री महोदय ने इस बात को सोच लिया है कि अगले तीस या चालीस साल में जो बृहत्तर दिल्ली बनने जा रही है उसका हमारे ग्रामों पर क्या असर होगा ? यदि इसको बिना सोचे यह कानून बनाया गया तो यह त्रुटिपूर्ण हो जायगा । और मैं समझता हूं कि इस बात को सोचा ही नहीं गया है । या अगर सोचा गया है तो नाकाफी रूप में सोचा गया है । इसी कारण इस प्रकार का संशोधन लाया गया है । यदि इस मामले पर विचार कर लिया गया होता तो दूसरे प्रकार का संशोधन लाया जाता ।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । इसमें यह रखा गया है कि फौजी आदमी की जमीन सुरक्षित रहेगी, यदि कोई फौज में जाएगा और वापस आवेगा तो उसको वह जमीन मिल जाएगी । लेकिन इसमें यह प्रावधान नहीं रखा गया कि अगर वह जमीन शहर के लिए या और किसी काम के लिए ले ली जाएगी तो उस फौजी की क्या दशा होगी ।

श्री हाथी : इसमें तो यह रखा गया है कि अगर कोई फौजी आदमी फौज में चला जाए और उसके वृद्ध माता पिता रह जाएं तो वे उस जमीन को लीज कर सकेंगे ।

श्री काशी राम गुप्त : मेरा मतलब आप नहीं समझे । मेरा कहना यह है कि जिस गांव में आप उसकी जमीन सुरक्षित कर रहे हैं, यदि वह सारा गांव शहर के काम के लिये ले लिया जाता है तो जो प्राथमिकता आप फौजी को देते हैं वह समाप्त हो जाती है और उस दशा में आप उस फौजी को किस जगह जमीन देंगे ।

श्री नवल प्रभाकर : जो जमीन ऐक्वायर की जाती है उस का पेमेंट उस को मिल जाता है ।

श्री हाथी : जमीन देने में उसको प्रायरिटी दी जाएगी ।

श्री काशी राम गुप्त: उसी पर आ रहा हूं । मेरी बात पूरी सुन लीजिए । मेरे कहने का मतलब यह है कि गारंटी देने की बात तो तभी सम्भव हो सकती है जब कोई जानकारी आपके पास हो कि ग्राम सभा की जमीन की क्या दशा हो जाएगी । दिल्ली के कितने ही गांव ऐसे हैं जिनके पास ग्राम सभा

की जमीन नाम मात्र के लिए ही है । इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा । ऐसी स्थिति में क्या आप केवल कागज पर अमल करेंगे । अमल तो तभी हो सकता है जब कि आपके पास दिल्ली के बारे में अगले तीस साल का नक्शा हो और आपको मालूम हो कि कितनी जमीन सुरक्षित रहेगी और किस रूप में रहेगी। आप के पास यह जानकारी हो और उसके आधार पर आप कानून बनावें तब तो ठीक हो सकता है । दिल्ली मध्य प्रदेश आदि की तरह कोई विशाल क्षेत्र नहीं है जहां आप गावों और शहर की आबादी की पूरी योजना न बना सके । यह तो छोटा सा क्षेत्र है । इसकी योजना आप बना सकते हैं । इसके अतिरिक्त दिल्ली के गांवों में भिन्नता यह हैं कि वहां बिजली है, सड़कें हैं, साथ साथ में गांवों के हजारों आदमी शहर में रहते हैं । उनमें से बहुत से शहर में अफसर भी हो सकते हैं और नौकरी आदि दूसरे काम भी कर सकते हैं । इसलिए दिल्ली के गांवों की स्थिति दूसरी है । आपने जो संशोधन पेश किया है वह उन शिकायतों के आधार पर किया है जो आपके पास आयी हैं । उन परिवर्तनों को आपने नहीं देखा जो हमें सामने आते नजर आ रहे हैं । उनकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया ।

मैं मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूं कि दिल्ली में दो गांव हैं मुडका, नांगलोई के पास, और दिचाऊ कलां, नफ़जगढ़ के पास। इन गांव में गांव सभा के पास जमीन बहुत कम है, उस जमीन में प्रधानों ने बड़े घोटाले कर रखे हैं । यदि इसकी पूरी जानकारी में आप जाएं तो आपको पता चलेगा कि हमारा कितना पतन हो चुका है । इसलिए मैं कहता हूं कि सुरक्षा देने का आपका यह कानून काफी नहीं है । मैं मानता हूं कि आपने जो गलती सामने आयी उसको ठीक करने का प्रयत्न किया है, लेकिन यह प्रत्यन अधूरा है, और यदि इतना ही प्रयत्न रहा तो आपको पांच बरस बाद फिर संशोधन लाना पड़ेगा । इसलिए मेरा सुझाव है कि इस कानून को पास कराने के बाद आप एक विशेष कमेटी नियुक्त कीजिए जो ग्रामों की पूरी दशा आपके सामने लावे, केवल ग्राम सभा की जमीन ही नहीं बल्कि गांव के सारी जमीनों की ।

आज ही एक साहब ने मुझे टेलीफोन किया कि इस कानून में कोई ऐसी चीज तो नहीं आ रही कि जिससे हमारी जमीन को खतरा हो । लोगों को डर है कि उनकी जमीन को लेने के लिये तो यह नया बिल तो लाया नहीं जा रहा है। यह मनोवृत्ति फैले यह ठीक नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस संशोधन ऐक्ट के पास होने के बाद आप एक कमेटी बिठाएं जो प्रत्येक गांव सभा की जमीन के बारे में आपको जानकारी दे और जो आपकी योजना है आप उस आधार पर बनाएं । आज जो गांव वाले शहर के पास है उनको यह फिक्र रहती है कि उनकी जमीन समाप्त हो जाएगी । इन में भी दो तरह के लोग है, एक वे जो खेती को सैकेंडरी रीति पर करते हैं और दूसरे वे जो खेती पर ही निर्भर हैं । जो खेती पर ही अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं उनको यह फिक्र ज्यादा होती है । इसलिए जब तक सरकार इस प्रकार की श्रेणीबद्धता नहीं करेगी कि कितने फी सदी लोगों का मुख्य आजीविका खेती है और उसके साथ वे कोई दूसरा धंधा भी नहीं करते हैं और कितने फ़ी सदी लोग ऐसे हैं, जिन की मुख्य आजीविका खेती नहीं है और जो नौकरों आदि के द्वारा खेती करवाते हैं, तब तक सरकार को वास्तविक परिस्थिति का ज्ञान नहीं होगा । उस को देखते हुए यह संशोधन नाकाफ़ी हो जायेंगे ।

13 hrs.

दिल्ली की जो बिजली गांवों में जा रही है, उसकी भी कोई योजना नहीं बन रही है कि उससे वहां पर क्या धंधे चल सकेंगे ।

[श्री काशी राम गुप्त]

अगर कोई गांव वाला अपने आप कोई अटकल-पच्चू योजना बना ले, तो वह दूसरी बात है। वैसे धंधे वालों की तरफ से गांवों में जाने की कोशिश हो रही है और जमीन वाले उनको जमीन दे रहे हैं। इस बिल में लिखा है कि ग्राम सभा की जमीन को कुछ लोग लेकर खेती के अतिरिक्त दूसरी तरफ ले जाते हैं। यह बहुत गम्भीर और महत्वपूर्ण बात है। इस सम्बन्ध में प्रवृत्ति यह होती है कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी जमीन का पैसा मिलता नजर आता है, तो वह उसको खेती से हटा कर दूसरी तरफ़ ले जाता है।

इस बिल में डिपुटी कमिश्नर को कुछ अधिकार दिए गए हैं, लेकिन वह उन अधिकारों का उपयोग तभी कर सकेगा, जब कि सरकार की योजना इस बारे में सुनिश्चित हो कि अमुक जमीन खेती के लिए है और वह तीस से पचास साल तक किसी दूसरे काम के लिए नहीं ली जा सकेगी। आज स्थिति यह है कि इंडस्ट्रियलिस्ट गांवों में जाकर काश्तकारों को यह लालच देते हैं कि तुम्हारी जमीन पर कारखाना लगाया जा सकता है और इस प्रकार वह जमीन खेती से निकल जाती है। अगर ऐसा होता रहा, तो इस प्रकार के झंझट पैदा होते रहेंगे।

अगर सरकार दिल्ली के बारे में इस कानून पर पूर्ण रूप से अमल करना चाहती है, तो उसको शहर, गांवों, उनके को-आर्डिनेशन और गांवों की विचित्र दशा की जानकारी प्राप्त करनी होगी और इस बारे में एक सर्वेक्षण करना होगा। इस सम्बन्ध में जिन लूपहोल्ज का जिक्र मैंने किया है, जब तक उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जायेगा, तब तक यह कानून पूर्ण नहीं होगा।

मैं इस बिल का समर्थन केवल इस रूप में करता हूं कि बाद में एक कमेटी बना कर इन सब बातों का सर्वेक्षण कराया जायेगा और पूरी स्थिति की जानकारी प्राप्त करके फिर यदि आवश्यकता होगी, तो एक बहुत सही तरीके का बिल लाया ज़ायेगा या इस बिल के प्रावधानों में काट-छांट की जायेगी।

श्री बाल्मीकी (खुर्जा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं, हालांकि इन संशोधनों को देख कर मेरे मस्तिष्क में कुछ संशय उत्पन्न होते हैं। जब भी भूमि सुधार का कोई कानून इस सदन के सामने आता है, तब सारे देश की जो भूमि सुधार नीति है, वह भी मस्तिष्क में आती है। तीन पंचवर्षीय योजनाओं में और जब कभी भी अवसर आया है तब इस बात की ओर शासन और शासन की बागडोर हाथ में लेकर चलने वाले नेताओं का ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है कि भूमि सुधार की नीति स्वत: ऐसी व्यापक और पूर्णतया परिपक्व होनी चाहिए कि उसके अधीन जो कानून लाये जायें, वे पूर्ण हों, उन में कोई अधूरी बात न रहे और उनमें कभी भी किसी प्रकार के संशोधन लाने की आवश्यकता न पड़े।

दिल्ली भूमि सुधार कानून 1954 में पास किया गया। उसमें सुधार की दृष्टि से आज फिर जो संशोधन लाए जा रहे हैं, उनकी कोई आवश्यकता न होती, अगर एक सर्वेक्षण करके यह निश्चित कर दिया जाता कि अमुक-अमुक जमीन खेती के लिए, कारखानों के लिए, भूमिहीनों के लिए और छोटे उद्योग-धंधों के लिए निर्धारित रहेगी। लेकिन इस विषय में कोई व्यापक कदम नहीं उठाया गया। अगर सरकार यह सोचती है कि इस संशोधन विधेयक से आवश्यक सुधार हो जायेगा और इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, तो मेरे विचार में यह बात ठीक नहीं है।

सरकार को यह बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? पंचायतों को भूमि सुधार और भूमिधारी सम्बन्धी कुछ अधिकार दे दिये

गये और जमींदारी उन्मूलन के बाद यहां भी इस तरह की व्यवस्था की गई कि ग्रामों को शक्ति मिले और ग्राम सभाओं में जीवन आये । यह बात साफ़ है कि जब हमारा विश्वास समाजवाद में है, तो हम पंचायती राज में भी विश्वास करते हैं । पंचायती राज विधेयक के अधीन हमने ग्राम सभाओं को कुछ इन्तजामिया और कुछ भूमि सम्बन्धी अधिकार दिये हैं । हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों या कुछ पंचायतों में किसी प्रकार की कमी हो, चाहे वह भूमि के बारे में हो और चाहे दूसरे मामलों में, लेकिन अगर ग्राम सभाओं की शक्ति को बलात् लिया जाता है, तो उसका क्या व्यापक प्रभाव होता है, वह मैं इस सदन में जाहिर करना चाहता हूं ।

सीधी बात यह है कि जब सत्ता का लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण होता है, जब सत्ता ऊपर से बिखर कर नीचे जाती है, जब सत्ता कुछ सीमित हाथों से बिखर कर साधारण हाथों में, किसान मजदूरों के हाथों में, गांवों के हाथों में जाती है, तो जहां सत्ता का सदुपयोग होना चाहिए, वहां उसका दुरुपयोग भी हो सकता है । दिल्ली, उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में भी गांव सभाओं और गांव पंचायतों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए कानूनी कदम उठाए गए हैं, ताकि गांव सभा के प्रधान या सरपंच आदि जो अनधिकार चेष्टा करते हैं, वह न कर सकें । लेकिन अगर सरकार चाहे कि किसी अन्य बड़े अधिकारी को विशेष अधिकार और शक्ति देकर वह उस अनधिकार चेष्टा को रोक सकेगी, तो मुझे इसमें संशय है ।

इस बिल के स्टेटमेंट आफ़ आबजेक्ट्स एंड रीज़न्ज में कहा गया है :

> "A number of Gaon Sabhas have, however, failed to effectively discharge these functions. A large number of encroachments on Gaon Sabha lands and transfers in contravention of the law have come to notice. It has, therefore, become necessary to invest the revenue authorities also with necessary powers to supplement the efforts of the Gaon Sabhas in removing encroachments on Gaon Sabha lands and ejecting persons who violate the law."

सरकार ने साफ़ तौर से इससे यह विचार प्रकट किया है कि कई ग्राम सभाओं ने अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभाया है और इस कारण अनधिकृत तरीके से धरती पर कब्जा होता चला गया है । हो सकता है कि इस बारे में ग्राम सभा के प्रधान या अन्य अधिकारी या दिल्ली नगर निगम के अधिकारी या अन्य स्वायत्त संस्थाओं के अधिकारी उत्तरदायी हों, लेकिन इस मामले में मैं दिल्ली प्रशासन की विशेष कमी मानता हूं कि उसको गांव सभाओं के फंक्शन में जो एक प्रकार का तगड़ा हाथ रखना चाहिए था, वह नहीं रखा जा सका ।

मैं चाहता हूं कि सरकार उस शक्ति को ग्राम सभाओं से न ले, बल्कि वह गांवों में पंचायती सिस्टम के द्वारा, पंचायती विचार-धारा के द्वारा, ऐसी शक्ति पैदा करे कि वहां पर अच्छे आदमी आ सकें, जो कि इन कामों में मदद कर सकें । जहां तक इस संशोधन का प्रश्न है, मुझे इस प्रकार की शिकायत नहीं है कि सरकार डिपुटी कमिश्नर को एक नई शक्ति से सुसज्जित कर रही है, उसको एक नई शक्ति प्रदान कर रही है । हम सारे राष्ट्र के अन्दर प्रशासन ले कर चलते हैं और डी० सी० या डी० एम० का एक प्रकार से उसमें हाथ होता है । उनका जो मंशा है उस पर मैं किसी प्रकार का कोई शक नहीं करता हूं । यहां जो डी० सी० हैं या आज यहां पर जो चीफ कमिश्नर हैं उनके किसी मंशे पर मुझे कोई शक नहीं है, वे बहुत अच्छे अधिकारी हैं और उनके द्वारा हमें एक प्रकार से मदद ही मिलती है और यहां पर सुधार का काम हो सकता है । लेकिन आगे अगर कोई और दूसरे दृष्टिकोण के

[श्री बाल्मीकी]

अधिकारी आ जायें तो बात खराब हो सकती है। ऐसी बात तो है नहीं कि देश में आज अच्छे ही डी० सी० हैं या डी० एम० हैं। बेईमान और खतरे वाले भी देश में आज हैं। उनसे खतरा पैदा होता है और हो सकता है।

यह ठीक है कि धरती पर अनधिकृत रूप से जो कब्जा किया जा रहा है, कुचेष्टापूर्वक जो अतिक्रमण हो रहा है, उसे आप रोकें लेकिन उसके पीछे जो मन्तव्य है, उसके पीछे जो प्रतिभावना है, उसे आप जरूर समझने की कोशिश करें। जब तक उसको आप अच्छी तरह नहीं समझेंगे, उसके कारणों को नहीं जानेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। जिन कारणों से यह बात होती है, उन कारणों को दूर नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा।

आप दिल्ली की ओर दृष्टि डालें। दिल्ली का विस्तार होता चला जा रहा है और बहुत तेजी से होता जा रहा है। उससे दिल्ली के ग्रामों को ही खतरा नहीं बल्कि जहां से मैं आता हूं यानी बुलन्दशहर उसको भी खतरा है। दिल्ली यहा के ग्रामों ही की भूमि को हड़पना नहीं चाहती है बल्कि दरिया पार करके, यमुना पार करके दूसरी नदियों को पार करके बहुत दूर तक दिल्ली फैलना चाहती है। दिल्ली का जो मास्टर प्लान है, उसको हम ललचाई दृष्टि से नहीं, बल्कि खतरे की दृष्टि से देखते हैं। बेशक दिल्ली हमारी राजधानी है, लेकिन दिल्ली को आप सीमित करें, इसका जो बढ़ता हुआ क्षेत्र है, उसको एक प्रकार से आप नियंत्रित करें, उसको आप बढ़ने न दें। विशेषकर ग्रामों की जो सीमा है, उनका जो क्षेत्र है, उस को आप निर्धारित करें। माननीय नवल प्रभाकर जी ने भी कहा है कि लाल डोरे का भी खतरा है। यकीनी तौर से उसका खतरा बहुत बड़ा है। वह विशेषकर इसलिए है कि आपने अच्छी तरह से यहां की धरती का सर्वेक्षण नहीं कराया है। अगर आप अच्छी तरह से सर्वेक्षण करायें तो उस बात से मदद मिल सकती है। मैं जरूर चाहता हूं कि दिल्ली के बढ़ते हुए कदमों को आप रोकें और दिल्ली के ग्रामों की तरफ ध्यान दें।

आप ध्यान दें कि देश के अन्दर अन्नोत्पादन बढ़े, अन्न के उत्पादन में वृद्धि हो, गेहूं-चावल के उत्पादन में वृद्धि होती चली जाए और गांव भी उससे प्रभावित हों, वे भी खुशहाल हों। अगर आप दिल्ली के आस-पास के गांवों के अन्दर शहरीकरण करेंगे, ग्रामीकरण को कुंठित करेंगे, तो उसका प्रभाव उल्टा होगा यह बात बिल्कुल साफ है। गाजियाबाद का इस सदन में चर्चा हुआ था, उसके मास्टर प्लान का चर्चा आया था। उस वक्त मैंने कहा था कि सारे देश के अन्दर कितने ही प्लान हो गये हैं लेकिन वे मास्टर के द्वारा नहीं बनाए गए है, मास्टर तरीके से नहीं बनाये गये हैं। वहां पर भी ये जो खतरे हैं ये पैदा होते हैं। किसानों के मन में किसी प्रकार का कोई डर नहीं होना चाहिये। आज भी देश के सत्तर प्रतिशत से अधिक किसान धरती के प्रति प्रेम करते रखते हैं, धरती के प्रति उनके मन में, उनके दिलों में बेटी बेटा जैसा प्रेम है, सद्भावना है। इस वास्ते किसान की धरती पर कब्जा करने की बात नहीं होनी चाहिये, उससे उसको छीनने की बात नहीं होनी चाहिये। इस बात का डर हमें भी है। जब हमारे काशी राम जी बोल रहे ये और धरती छीने जाने की बात की चर्चा कर रहे थे तो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि उनकी भूमि नहीं छीनी जाएगी। लेकिन किसानों के मन में इसके बारे में कोई डर नहीं होना चाहिये। हमारे देश में एक कहावत है :

> 'उत्तम खेती, मध्यम बान, निषध चाकरी,
> भीख निदान।'

यह बात साफ है कि खेती उत्तम है। इस बात का देश में कभी प्रभाव था और इसको मान्यता प्राप्त थी। आप 17वीं शताब्दी को लें। तब पुर्तगाली यहां पर आएथे।

मैं तब के आंकड़ों के आधार पर कहता हूं कि उस वक्त हमारी खेती पर जो किसान थे वे 42 प्रतिशत थे और बाकी कामों में 48 प्रतिशत आदमी लगे हुए थे । आज अंग्रेजों के चले जाने के बाद और तीन पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो जाने के बाद भी हमारी धरती पर 70 प्रतिशत आदमी हैं और तीस प्रतिशत आदमी दूसरे कामों में हैं और और जहां तक बेकारों का सम्बन्ध है, उनका कोई घाटा ही नहीं है । उत्पादन की दृष्टि से मौखिक नहीं बल्कि खुला हुआ यह आश्वासन जब तक आप नहीं देते हैं कि जो खेती की जमीन है उस पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं होगा, उस पर कभी कारखाने नहीं लगेंगे और खेती के अतिरिक्त दूसरे कामों में वह नहीं आएगी, वह जमीन खेती के काम में ही आएगी, तब तक हमें तसल्ली नहीं हो सकती है ।

दिल्ली के अन्दर वाटरलाग्ड एरिया भी कम नहीं है, वह समस्या भी बहुत भारी है । उसको तैयार करा कर खेती के लिए दिया जाना चाहिये । यहां पर बातें तो बहुत कही जाती हैं । लेकिन, वास्तविकता यह है कि जो भूमिहीन लोग हैं, चाहे वे पिछड़ी जातियों के हैं, कमजोर वर्गों के हैं, हरिजन जातियों के हैं, सफाई पेशा भाई हैं या दूसरे हैं उनकी जमीनें छीनी गई हैं, उनके आवास की जो जमीन थी वह भी उन से छीनी गई है । यहां जो चकबन्दी हुई, उससे उनकी जमीनें उन से छीनी गई । उन के पास रहने तक को जगह नही है । उनको रहने तक के लिए जगह नहीं दी गई है । दी भी गई है तो अधमने पनन से दी गई है ।

आप डी० सी० को अधिकार दे रहे हैं, उनकी शक्ति को बढ़ा रहे हैं । जो गांव सभा की जमीन है या जो शामलात की भूमि है उस पर किसी और का कब्जा नहीं हो सकता है । उस भूमि को बांटा जाए तो खेती के लिए, आवास के लिए और जो हमारी हरिजन जातियों के लोग हैं, जो पिछड़ी जातियों के लोग है जो कमजोर वर्गों के लोग हैं, उनका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये ।

मैं आपकी तारीफ करता हूं कि इस बिल के अन्दर आपने फौजी भाइयों का समावेश किया है । हमार वे फौजी भाई जो आज पाकिस्तान के बर्बरतापूर्वक आक्रमण का सफल सामना कर रहे हैं, जो मोर्चों पर लड़ रहे हैं जो दुश्मन के दांत खट्टे कर रहे हैं, टैंकों को दुश्मन के जो हैं, उनको तोड़ रहे हैं, बलशाली प्रयत्न कर रहे हैं, उनके साहस की, उनके शौर्य की और उनके बलिदान की, उनकी प्रतिभा की मैं तारीफ करता हूं । यह बहुत अच्छी बात है कि आप ने इस में अधिकार दिया है कि उनकी जमीन जो है वह किसी प्रकार से भी न छीनी जाए। उनकी जमीन किसी गलत हाथ में नही जाएगी । फौजी जो कि पिछड़ी जातियों के हैं या कमजोर वर्गों के हैं या हरिजन हैं उन में और दूसरों में मैं इस अवसर पर कोई भेद नहीं करना चाहता हूं । आज जो जवान लड़ रहे हैं वे भारतीयता की रक्षा की खातिर देश की एकता की खातिर, देश की प्रभुसत्ता की खातिर, देश की अखंडता की खातिर लड़ रहे हैं और उनके लिए जमीन की उपलब्धी आवश्यक है । वहां से लौट कर जब वे आते हैं और उनको जमीन दी जाती है तो उनके ऊपर यह अहसान नहीं है जो किया जाता है । देश पर उनका एहसान है, हम लोगों पर उनका एहसान है । आज वे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, काश्मीर की रक्षा कर रहे हैं और प्राणपण से उसके लिए वे तत्पर हैं । वे बड़े बलिदान दे रहे हैं और जीत रहे हैं । उनको जमीन देने का प्रबन्ध आप करें ।

कारखानों के लिए खेती की जमीन नही ली जानी चाहिये । जब जमीन किसी को दी जाए तो वह भी उन्हीं को दी जाए जो उसके अधिकारी हैं, उत्पादन को बढ़ा सकते हैं । आवास के लिए भी उनको जमीन मिलनी चाहिये जो इसके अधिकारी हैं । मुश्किल यह है कि

[श्री वाल्मीकी]

दिल्ली प्रशासन के अन्दर भी हमारे हरिजन भाइयों का ध्यान नहीं रखा गया है जब जमीन वितरित की जाती है। मैं उस पालिसी की निन्दा करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश का हूं और अगर मैं ज्यादा लम्बी बात करूंगा तो कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का जो आदमी है वह अपने घर में कुछ और बात करता है, उसके अपने घर में कुछ और हालत है और दूसरे के घर में आकर कुछ और बातें करता है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि दिल्ली के ऊपर उत्तर प्रदेश का विशेष अधिकार है। उत्तर प्रदेश के जो लोग यहां आते हैं वे अनधिकृत रूप से नहीं आते हैं बल्कि सद्भावना को लेकर आते हैं। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे प्रयत्न करें जिससे गांवों का जो पिछड़ापन है वह दूर हो। गांवों में किसानों की जिंदगी में जो गिरावट आई है उस में उठाव हो सके। हमारे यशपाल सिंह जी जो कह रहे थे उसको मैंने बहुत ध्यान से सुना है। किसान का बेटा होने के नाते वह अपनी बात कह रहे थे।

माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः।—अथर्व वेद

भूमि मेरी माता है, मैं धरती का बेटा हूं। वह किसान के बेटे हैं इस वास्ते वे अपनी बात को कह रहे थे। देश की चार दीवारी के अन्दर आज भी जो किसान के साथ व्यवहार होता है, उसके दिल पर जो बीतती है, उसके दिल में से जो हूक निकलती है, उसको वह ही जानता है। जिसके दिमाग में धरती रहती है। किसान की करुण कहानी लम्बी है, किसान की गाथा लम्बी है। उसके जीवन को ऊंचा उठाने के लिए आपको कदम उठाने चाहियें। चौथी पंच वर्षीय योजना में खेती को प्राथमिकता देनी चाहिये, प्रायोरिटी देनी चाहिये और दिखा देना चाहिये कि हम खेती के ऊपर सब से ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। किसी के मस्तिष्क में जो यह आ गया है कि पश्चिमी पद्धति के आधार पर, पश्चिम की नकल करके ही हम देश को समृद्ध और खुशहाल बना सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन से देश को खुशहाल बनाया जा सकता है, दस्तकारियों के फैलाव से ही यह बात सम्भव हो सकती है, वैसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप कारखाने बढ़ाते चले जायें, कपड़े के कारखाने बढ़ाते चले जायें, हथियारों के कारखाने बढ़ाते चले जायें, दूसरे प्रकार के कारखाने व दस्तकारियां बढ़ाते चले जायें, हर तरह का फैलाव करते चले जायें और अन्न का उत्पादन न करें तो यह ठीक नहीं है। अन्न उत्पादन का सवाल बहुत बड़ा सवाल है। यह ऐसा सवाल है जिस पर विशेष प्रमुखता की दृष्टि से ध्यान दिया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि अगर दिल्ली के गांवों में अन्न का उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो दूसरे स्थानों पर इस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इन सुझावों पर ध्यान देंगे। विशेषकर हमारे भाइयों को जो कष्ट होता है चाहे वह किसान हों चाहे मजदूर हों या पिछड़े वर्ग के हरिजन भाई हों, विशेषकर दिल्ली में उनके ऊपर जो परेशानी है, उनके जो कष्ट हैं वह दूर होंगे और इस विधेयक का प्रभाव उन पर पड़ेगा। उन के कष्ट दूर हों और विशेषकर जांच की दृष्टि से सीमाबन्दी के सम्बन्ध में या दूसरे तरीके से जो सुझाव श्री काशीराम गुप्त ने दिया है कि एक जांच समिति नियुक्त की जाये उस बात को आप समझेंगे और एक व्यापक विधेयक सदन में लाकर जो कमी रह गई है उस को दूर करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा): उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली भूमि सुधार कानून, 1954 में संशोधन करने वाला जो विधेयक है, जो कि

सदन के सामने उपस्थित किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। समर्थन करते हुए मुझे इस बात का दुःख है कि दिल्ली पंचायत राज कानून के अन्दर गांव सभा को शामलात जमीन की रक्षा, नियन्त्रण और प्रबन्ध के लिये जो अधिकार दिया गया गांव सभा उस का ठीक तरह से प्रयोग नहीं कर सकी। मैं चाहता हूं कि आज धीरे धीरे अधिक से अधिक अधिकार ग्राम पंचायतों को और गांव सभाओं को दें। इस सिलसिले में दिल्ली का जो अनुभव है वह कटु अनुभव मालूम होता है क्योंकि गांव सभा को शामलात भूमि का प्रबन्ध और नियन्त्रण तथा बन्दोबस्त करने के लिये जो अधिकार कानून के जरिये दिया गया उस अधिकार का प्रयोग वह ठीक से नहीं कर सकी। इसी के लिये यह विधेयक गृह मंत्री जी को इस सदन के सामने उपस्थित करना पड़ा कि जो काम गांव सभा शामलात जमीन की रक्षा के लिए नहीं कर सकती है उस के लिये यहां के डिप्टी कमिश्नर को अधिकार होगा कि वह उद्योग करे। अब तक गांव सभा के प्रधान या दूसरे सदस्यों की गलती से जो भी गांव सभा की शामलात जमीन दूसरों के हाथों में चली गई है, इस विधेयक से ऐसा मालूम पड़ता है कि उसकी तादाद बहुत ज्यादा है। इस विधेयक में बतलाया गया है कि अब तक 2843 नाजायज ट्रांस्फर्स हो चुके हैं और जो नाजायज तौर से जमीन पर अधिकार कर लिया गया है ऐसे केसेज 5241 हैं। इस से यह भी पता चलता है कि 3300 केसेज में सरकार को कारंवाई करनी पड़ेगी जो शामलात की जमीन है उसको वापस लेने के लिये। मैं इसका समर्थन तो करता हूं लेकिन उम्मीद करता हूं कि पंचायत के कार्य को बढ़ाने का काम जिन अधिकारियों के पास है वह इस बात की कोशिश करेंगे कि गांव सभा या गांव सभा के प्रधान लोग जो उत्तरदायित्व उन को सौंपा गया है उस को ठीक से सम्भालने की कोशिश करें और साथ ही डिप्टी कमिश्नर को उन के मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई मौका न मिले।

दूसरी बात जो इस विधेयक में है वह यह कि ऐसी भी जमीन है जिस को काश्तकार लोग या तो अन्न उपजाने में लगाते नहीं हैं, उसे छोड़े रहते है, या जिस जमीन पर अन्न उपज सकता है उस का दूसरे काम के लिये उपयोग करते हैं। इस संशोधन के जरिये से यह अधिकार दिया जा रहा है कि ऐसे काश्तकारों को नोटिस दी जायेगी कि अगर वे अन्न उपजाने के काम में आने वाला जो खेत है उस का इस्तेमाल ठीक से नहीं करते हैं तो सरकार को इस बात का अधिकार होगा कि वह काश्त कार बन्दोबस्त करे ताकि उपज बढ़े। मैं इस बात का समर्थन करता हूं लेकिन इस सिलसिले में यद्यपि इस विधेयक से इस का सम्बन्ध नहीं है, लेकिन चूंकि मंत्री महोदय ने कहा कि उन का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक अन्न उपजे इसलिये मैं उनका ध्यान खींचना चाहता हूं कि कुछ दिन हुए मैं कुछ पालियामेंट के सदस्यों के साथ पालियामेंटरी अफेयर्स विभाग की तरफ से दिल्ली के देहाती हलके में गया था। वहां जाने पर पता लगा कि जो हमारी दिल्ली डेवलपमेंट अथारिटी है या दूसरी अथारिटी है उन्होंने देहात की उपजाऊ जमीन को 6, 7 या 10 वर्ष पहले ऐक्वायर कर लिया है लेकिन जिस काम के लिये ऐक्वायर किया है वह उस काम के लिये इस्तेमाल नहीं हो रही है। वह न काश्ताकरों को दी जाती है और न वहां उपज होती है। वह जमीन वैसी की वैसी पड़ी हुई है। अगर वह ऐसी जमीन है जिसका इस्तेमल निकट भविष्य में होने वाला नहीं है तो मेरी प्रार्थना है कि वह काश्तकार को दे दी जाये ताकि अगर वहां अन्न न उपजे तो कम से कम साग सब्जी वह उपजा सकें, जिसका अभाव आज दिल्ली में बहुत खटकता है।

तीसरी बात जिस की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा वह यह कि दिल्ली के आस पास, खासकर जहां हम लोग गये थे उन गांवों में ऐसी जमीन है जहां पर आज हर प्रकार की उपज बहुत अच्छे पैमाने पर किसान लोग कर रहे हैं। जिन गांवों में हम लोग गये, जैसे कि सुलतानपुर, अली, छतरपुर, सतबारी,

[श्री श्रीनारायण दास]

शौरपुर आदि, वहां जाने से पता लगा कि वहां के काश्तकारों को बराबर इस बात का डर लगा रहता है कि पता नहीं कब उन की जमीन दिल्ली डेवलपमेंट अथारिटी ले लेगी और वहां से उन्हें निकाल दिया जायेगा । इस लिये खेती की उपज बढ़ाने के लिये जिस प्रकार का परिश्रम जरूरी है, जितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत है वह डर के मारे नहीं करते हैं । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात का एलान कर दें कि कम से कम पांच या सात अथवा दस सालों तक दिल्ली के आस पास की उपजाऊ जमीन किसी भी नानऐग्रीकल्चर काम के लिये नहीं ली जायेगी ताकि इतने समय तक कम से कम वह लोग निश्चित हो कर खेती में अपना रुपया लगा सकें और उपज को बढ़ा सकें ।

चौथी बात जिस पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं यह है कि कारखाने या दूसरे किसी गैर खेती के काम के लिये जमीन हासिल की जाये तो दिल्ली के पास जो ऐसी जमीन है जो राकी है, चट्टान है, जहां उपज नहीं होती है, दिल्ली डेवलपमेंट अथारिटी का यह काम है कि कारखानों के इस्तेमाल के लिये ऐसी जमीन को ले ले न कि उपजाऊ जमीन जिस को किसान लोग बहुत मेहनत करके अच्छी बनाते हैं । आज इस तरह की जमीनों को कारखानों के लिये ले लिया जाता है । मैंने इन बातों की तरफ इसलिये ध्यान खींचा है कि इस विधेयक में इस बात का जिक्र है कि जो जमीन खेती के लायक है उसे गैर खेती के काम में भी लिया जा सकता है और इस को लेने का अधिकार डिप्टी कमिश्नर को दिया जा रहा है । मैं इसका समर्थन करते हुए इस बात की ओर ध्यान खींचना चाहता हूं ।

इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर अधिकारियों का एक प्रकार से जमाव हो गया है । दिल्ली डेवलपमेंट अथारिटी है, दिल्ली कारपोरेशन है, उस के बाद रूरल कमेटी है । यह तो दिल्ली कारपोरेशन के अन्दर हैं । फिर पंचायत कमेटी है, पंचायत समिति है । देहात के रहने वाले जो किसान हैं वह दिल्ली के पास के हैं, शहर के नजदीक हैं फिर भी किसान हैं । अगर उन को किसी काम की जरूरत होती है तो उन को मालूम नहीं होता है कि किस अधिकारी के पास जायें और किस से उन का काम हो सकेगा । एक आदमी के पास जाते हैं तो वह कहता है कि यह मेरा काम नहीं है, दूसरे के पास जाओ, दूसरे के पास जाते हैं तो वह कहता है कि यह हमारा काम नहीं है, फिर तीसरे के पास जाते हैं तो वह कहता है कि मेरा काम नहीं है चौथे के पास जाओ । इसी प्रकार से नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना उन को करना पड़ता है ।

श्री वाल्मीकी : हमारे किसानों को सब पता है ।

श्री श्रीनारायण दास : मैंने उन इलाकों में जाकर जैसा देखा है वह बतला रहा हूं । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली डेवेलपमेंट अथारिटी जो है उसको खास कर इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि जो उपजाऊ जमीन है जिस पर खेती की जा सकती है, जिस जमीन पर अन्न उपजाया जा सकता है, जिसमें साग सब्जी उगाई जा सकती है अगर उस जमीन को वह कब्जे में ले तो उसे वह गैर खेती के काम में इस्तेमाल न करे । इस विधेयक पर बहस करते हुए मैंने माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस लिये दिलाया है कि दिल्ली इलाके में रहने वाले जो किसान हैं उनका ध्यान बराबर इस बात की ओर रहता है, बराबर वे इस भय में रहते हैं कि पता नहीं किस समय उनकी जमीन ले ली जायगी और वह खेत से वंचित कर दिये जायेंगे तथा जिस पर उनका जीवन निर्वाह होता है वह उनसे छीन ली जायेगी ।

फौज के सम्बन्ध में जो सुविधायें दी गई हैं मैं उनका दिल से समर्थना करता हूं और सदन

के सभी सदस्य उनका समर्थन करेंगे । जितनी भी सुविधायें आज फौजी भाइयों को दी जा सकें वह दी जायें क्योंकि आज हमारी स्वतन्त्रता की रक्षा का भार, हमारी देश की आजादी की रक्षा भार, जिस को हमने बहुत मेहनत से हासिल किया है, देश के सिपाहियों पर है, हमारे देश के कमाण्डरों पर है । यह जो त्याग और बलिदान कर रहे हैं उसको देखते हुए उनकी जितनी भी आर्थिक सहायता, पेंशन की सहायता और दूसरी सुविधाएं देने की व्यवस्था की जाए उसका समर्थन करना चाहिए । मन्त्री जी ने यह बिल लाकर उनको जो सुविधा प्रदान की है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं ।

मैं आशा करता हूं कि मैं ने जो सुझाव दिए हैं उन पर मन्त्री जी ध्यान देंगे जिससे कि किसान इलाके में अपनी खेती के काम में जुटे रहें और हमारी आवश्यकता को पूरा करते रहें ।

श्री हाथी : मैं उन सब सदस्यों का आभार मानता हूं जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया ।

माननीय श्री यशपाल सिंह जी ने जो कुछ कहा उसका जवाब तो श्री नवल प्रभाकर ने दे दिया है । मैं भी उनसे यह कह देना चाहता हूं कि यह जो विधेयक लाया गया है इसमें किसान से जमीन लेने की कोई बात नहीं है । जो बात है वह यह है कि जहां ग्राम सभा की जमीन हो, जो एक समाज की, गांव की कम्युनिटी की जमीन है, जिसका मालिक सारा गांव है, अगर ऐसी जमीनों पर किसी ने अनधिकृत कब्जा कर लिया है तो उस जमीन को वापस लेकर ग्राम सभा को देने की व्यवस्था इसमें की गयी है । इसमें किसानों से जमीन लेने की कोई बात नहीं है ।

जैसा कि श्री नवल प्रभाकर ने बताया है कि 5200 एकड़ ऐसी जमीन है जिस पर लोगों ने अनधिकृत कब्जा कर लिया । उसकी कीमत एक करोड़ 87 लाख होती है । और कुछ जमीन ऐसी है जिसके बारे में जब मामला कोर्ट में गया तो प्रधानों ने कह दिया कि आसामी की है । इन दोनों तरह की जमीन की कीमत लगभग साढ़े तीन करोड़ होगी । इसमें उस जमीन को वापस लेने की बात है । यह तो नुकसान गांव का हुआ । इसलिए इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो अनधिकृत रूप से जमीन पर कब्जा किया गया है उसको वापस लिया जाए । अगर ऐसी जमीन के बारे में ग्राम सभा कुछ नहीं करती तो उसके बारे में कुछ करने का अधिकार रेवेन्यू आफिशियल्स को दिया गया है । इसका यह अर्थ नहीं है कि किसान से जमीन लेने की बात है । जो उसकी जमीन है वह उसके पास रहेगी । लेकिन अगर उसकी जमीन न हो और उसने एनक्रोचमेंट किया हो तो ऐसी जमीन को लेने की बात है । जैसा कि श्री यशपाल सिंह ने कहा है, इसमें किसान से उसकी जमीन छीनने की बात नहीं है ।उन्होंने जो अपने पैसे से जमीन खरीदी है या जो एनसेस्ट्रल जमीन है वह उनसे नहीं छीनी छाएगी । श्री यशपाल सिंह जी तो प्रामाणिक बात को मानते हैं, वह गीता की बात करते हैं । यह तो वे भी स्वीकार करेंगे कि किसी को जन समुदाय की जमीन पर गलत तरीके से कब्जा कर लेने का अधिकार नहीं होना चाहिये और यदि कोई ऐसा करता है तो उससे वह जमीन वापस लेनी चाहिए । तो इसमें ऐसी ही जमीन को वापस लेने की बात है, और कोई जमीन वापस लेने की बात नहीं है । मैं श्री यशपाल सिंह जी को आश्वासन देता हूं कि इसमें किसान की जमीन को लेने की बात नहीं है ।

दूसरी बात कही गयी वह ऐसी है कि उस पर एक बड़ा निबन्ध लिखा जा सकता है—रूरल डेवेलपमेंट वरसस अरबन डेवेलपमेंट । उस पर हम बहुत कुछ कह सकते हैं । लेकिन आज हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अन्न का उत्पादन हो । यह बात श्री श्रीनारायण दास जी ने भी कही है । इसलिए इसमें यह प्रबन्ध है कि जो खेती की जमीन

[श्री हाथी]

है उस जमीन को खेती के अलावा और उपयोग में न लाया जाए । और अगर ऐसा किया जाएगा तो गांव सभा को अधिकार है—अभी हमने यह अधिकार कमिश्नर को दे दिया है, कि वह उस जमीन को खेती के लिए दे दे । और कोई बात नहीं है ।

काशीराम जी ने तीन बातें कहीं । एक तो यह कि शेड्यूल में उनको सुरक्षा तो दी जाती है, लेकिन ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे उनका अधिकार प्रोटैक्टेड हो । अभी तो ऐक्ट है । उसमें कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया है जिससे इस अधिकार में बाधा पड़े । लेकिन फिर भी मैं इस बात को एग्जामिन करूंगा ।

दूसरा अच्छा सुझाव उन्होंने सर्वे के बारे में दिया है कि यह देखा जाए कि कितनी जमीन है । मैं इस पर विचार करूंगा और इस बारे में कुछ कदम भी उठाऊंगा ।

तीसरी बात उन्होंने जमीन एक्वायर करने के बारे में कही । इसमें लैंड एक्वीजीशन की बात नहीं है । उसके लिए तो अलग कानून है ।

श्री काशीराम गुप्त : फौजी लोगों को जो जमीन दी जाए वह सुरक्षित रहे ।

श्री हाथी : फौजी लोगों को तो प्रायरिटी दी गयी है । जब जमीन दी जाएगी तो उनको प्रायरिटी रहेगी ।

हमने इसमें यह व्यवस्था की है कि जो फौजी लड़ाई पर जाता है और उसके वृद्ध माता पिता हैं उनको दिक्कत न हो । दूसरे यह व्यवस्था की है कि जब वह वापस आवे तो उसको उसकी जमीन मिल जाए । और तीसरी बात हमने यह रखी है कि जहां तक जमीन मिलने का सवाल है सबसे पहले प्रायरिटी उन लोगों को और उनके परिवार वालों को मिले जो फौज में गए हैं ।

जहां तक खेती के उत्पादन को बढ़ाने का सवाल है, यह आज सारे देश में बहुत महत्व का प्रश्न है । और इस पर जो सुझाव दिए गए हैं मैं उनका स्वागत करता हूं । जब तक हम अन्न के मामले में स्वावलम्बी न हों तब तक परेशानी होती है । इस लिए मैं इन सुझावों पर विचार करूंगा । दूसरी तरफ मैं अफ़सरों से भी कहूंगा कि अगर उनको जमीन लेनी हो तो सबसे पहले वह जमीन लें जो राकी हो और खेती के काम न आती हो, उसके बाद और जमीन लें । यह ठीक सुझाव है और मैं इसका स्वागत करता हूं ।

श्री नवल प्रभाकर ने एक बात कह कर तो मेरा काम कर दिया और जो दूसरी बात उन्होंने कही है उसके बारे में मैं जरूर ध्यान रखूंगा । मैंने उसे नोट कर लिया है ।

इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई खास बात नहीं रह जाती है । श्री बड़े ने कहा कि वह इसलिए इस विधेयक का समर्थन नहीं करते कि इसमें रेवेन्यू आफिसर्स को सत्ता दी जाती है । लेकिन मैं कहता हूं कि गांव सभा की सत्ता नहीं ली जाती । सत्ता उनके पास रहती है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि करीब तीन करोड़ का नुकसान गांव सभाओं को हुआ । जब कोई केस कोर्ट में जाता तो गांव प्रधान कह देते थे, कोल्यूजन में, कि यह जमीन आसामी की है । इसलिए यह नुकसान हुआ । लेकिन इस मामले में डिप्टी कमिश्नर को कुछ करने का अधिकार नहीं था । अब उनका इस मामले में कुछ करने की सत्ता दी गयी है । हम गांव सभा की सत्ता नहीं लेते हैं उनके पास तो सत्ता रहेगी । लेकिन डिप्टी कमिश्नर को अभी कोई सत्ता नहीं है, उनको हम अधिकार देते हैं । इसका यह अर्थ नहीं है कि गांव सभा का अधिकार लेते हैं । उनकी एजूकेशन के लिए यह जरूरी है कि उनके पास अधिकार हो । गांव सभाओं और ग्राम पंचायतों को एजूकेशन की जरूरत है । इसलिए वे सत्ता से वंचित किये जाने से नहीं, बल्कि सत्ता दिये

जाने से सीखेंगी । सत्ता तो उनके पास है और अगर और सत्ता देना उचित समझा गया, तो वह भी दी जायेगी । लेकिन इस के साथ ही साथ उन को यह ध्यान रखना चाहिए कि ज़मीन उनके लिए और उनके रिश्तेदारों के लिए नहीं है, बल्कि वह ज़मीन सारे गांव के लिए है और जो पैसा उस ज़मीन से मिले, वह सारे गांव के काम आना चाहिए ।

माननीय सदस्य, श्री नवल प्रभाकर, ने यह भी कहा कि गांव सभा की ज़मीन देने से जो आमदनी हो, वह गांव के डेवेलपमेंट के लिए रखी जानी चाहिए । मेरे ख्याल से गांव का डेवेलपमेंट सबसे ज़रूरी है । चाहे वह पैसा हो या कोई दूसरा पैसा हो, गांव के डेवेलपमेंट का सबसे पहले ध्यान रखा जाना चाहिए । इस बारे में कोई दो मत नहीं हो सकते हैं ।

मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्यों ने जितने पायंट्स उठाए हैं, मैं ने उन सब का जवाब दे दिया है ।

मैं श्री यशपाल सिंह के एमेंडमेंट के बारे में भी कुछ कह देना चाहता हूं, ताकि उस पर बहस की ज़रूरत न रहे । उनकी एमेंडमेंट यह है कि इस क्लाज़ के अन्त में यह जोड़ दिया जाये : "एण्ड फ़ार विच डोनेशन्ज़ आर एग्ज़ेम्पिटड अन्डर दि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 ।" हम ने जो एमेंडमेंट रखा है, उसका इरादा यह है कि रिलीजस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन्ज़ को लैंड दान करने के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जाये । इनकम टैक्स एक्ट में चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन्ज के बारे में कहा गया है : provided they have 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Section 88 deals with exemptions for donations of certain charitable institutions, but in that clause there are certain restrictions: provided they keep an account, provided they do this, that, etc.

लेकिन इस क्लाज़ में हमने कोई शर्त नहीं लगाई है । मेरे ख्याल से जो एमेंडमेंट हमारी तरफ़ से रखा गया है, वह ज्यादा विशाल है । इस का कारण यह है कि हम तो चाहते हैं कि लोग चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन्ज़ और पब्लिक इंस्टीट्यूशन्ज़ को ज़मीन दे सकें, क्योंकि वह भी दान है और जब दान देने की भावना हो, तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए । माननीय सदस्य की एमेंडमेंट से इसका स्कोप कुछ रेस्ट्रिक्ट हो जाता है ।

सब माननीय सदस्यों ने इस बिल का समर्थन किया है—केवल श्री वाल्मीकी ने कुछ आबजैक्शन किया है—उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं ।

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

> "That the Bill further to amend the Delhi Land Reforms Act, 1954, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Mr. Deputy-Speaker: We will now take up the clause-by-clause consideration.

The question is:

> "That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clauses 3 to 27 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

Shri Hathi: Sir, I move:

> "That the Bill be passed".

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

> "That the Bill be passed".

The motion was adopted.